

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 66 / 2019 (Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड, शाखा - 1-सी-18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी

- प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्री कल्याण सिंह पत्र श्री गोपाल सिंह, मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा, बोरखेडा जिला कोटा (राज०)
(ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्रीमति भंवर कंवर पत्नि श्री कल्याण सिंह, मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा, बोरखेडा जिला कोटा (राज०)
(ऋणी व बंधककर्ता)
3. श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, प्लॉट नं० 779, हनुमान मंदिर के पास, बसन्त विहार, दादाबाडी, जिला कोटा (राज०) (गारंटर)
4. श्री हेमन्त सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा, बोरखेडा, जिला कोटा (राज.) (गारंटर)
5. श्री धीरज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा, बोरखेडा, जिला कोटा (राज.) (गारंटर)

-अप्रार्थीगण.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह नरुका, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019


प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड शाखा -- 1-सी-18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.05.2015 को 20,00,000/- (अक्षरे: रूपय बीस लाख, मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा बोरखेडा, जिला कोटा (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 109.72 वर्गगज है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2015 से अप्रार्थी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाते को दिनांक 30.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उसके खाते में 19,49,623/- रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख, उन्चास हजार, छः सौ तैबीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 01.12.2018

को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times" में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण, को दिनांक 01.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times" में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण, को दिनांक 01.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times" में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अचल सम्पत्ति मकान नं० 145, पार्श्वनाथ नगर-बी, तेखडा बोरखेडा, जिला कोटा (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 109.72 वर्गगज है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2015 से अप्रार्थी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया।


(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

